XIV

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनॉक 16 सितम्बर 1998 को सांय 6.00 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभागार वरुणालय फेस-II, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110 005 में हुई तेरहवीं बैठक का कार्यवृत ।

उपस्थित

1.	श्री साहिब सिंह, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता, सदस्य दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
3.	श्री बालेश्वर राय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य, दि0ज0बो0
4.	श्री दीप चन्द्र बन्धु, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	-तदैव-
5.	श्री गौरी शंकर भारद्वाज, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	-तदैव-
6.	श्री आर0सी0 वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	-तदैव-
7.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दि0न0नि0	-तदैव-
8.	श्री छन्नूमल, सदस्य, दिल्ली छावनी	-तदैव-
9.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	-तदैव-
10.	श्री डी0के0 चड्ढा, अध्यक्ष केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण	-तदैव-

दिल्ली जल बोर्ड की दिनॉक 9-9-1998 को हुई बैठक के कार्यवृत में वर्णित नयें मुद्दे शीर्षक के क्र0स0 13 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय को निम्न प्रकार से स्पष्ट करते हुये हस्ताक्षर किये गये ।

"प्रशंसनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जायेगा तथा अकर्मठ कर्मचारियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी, जिसकी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रत्येक माह प्रस्तुत की जायेगी ।

संकल्प संख्या 116

मद संख्या 118 बापू पार्क कोटला मुबारक पुर में पानी के सुधार के लिये 2.5 लाख गैलन क्षमता का भूतिगत जलाशय बनाने के सन्दर्भ में ।

मुख्य अभियन्ता (सी)। के पत्र क्रमॉक दि.ज.बो./तक./98/77 दिनॉक 11-9-98 में दिये गये प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार करने के उपरान्त संकल्प किया गया कि 2.5 लाख गैलन क्षमता का अण्डर ग्राउण्ड रिजरवायर, बूस्टर पम्पिंग स्टेशन तथा सम्बन्धित कार्यो के लिये रु0 112.20 लाख की प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 117

मद संख्या 119 दिल्ली वाटर बोर्ड अधिनियम 1998 में "वाटर" शब्द के स्थान पर "जल" शब्द स्थापित करने हेतु ।

निदेशक (प्र0 एवं का0) के पत्र संख्या दि.ज.बो./प्रशा./98/41 दिनॉक 14–9–98 पर बोर्ड ने विचार करने के पश्चात् संकल्प किया कि **दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998** में धारा 1(1) में उल्लिखित "वाटर" शब्द के स्थान पर "जल" शब्द को स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अधिनियम में आवश्यक संशोधन के लिए अनुरोध किया जाय ।

संकल्प संख्या 118

मद संख्या 120 बारापुला नाले का मुगल ब्रिज निजामुद्दीन से रिंग रोड़ के बीच का पुनरुद्धारण– लम्बाई 0 मीटर से 480 मीटर ।

मुख्य अभियन्ता (सी)चतुर्थ के पत्र क्रमॉक दि.ज.बो./तक./98/78 दिनॉक 14.9.98 में दिये गये प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया और डी.एस.आर. 93 की दर से 20.50% अधिक दर पर कुल लागत रुपये 85,53,302.08 के साथ, मै0 हरिन्दर सिंह को आवटिंत करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

संकल्प संख्या 119

मद संख्या 121 बारापुला नाला का मुगल ब्रिज निज़ामुद्दीन से रिंग रोड़ के बीच का पुनरुद्धारण – लम्बाई 480 मीटर से 1050 मीटर ।

मुख्य अभियन्ता (सी) चतुर्थ के पत्र क्रमॉक दि.ज.बो./तक./98/79 दिनॉक 14.9.98 में दिये गये प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार करने के पश्चात डी.एस.आर. 93 की दर से 20.50% अधिक दर पर, कुल लागत रु0 85,01,529.25, के साथ मै0 कुंमार एसोसिएट्स को आबटिंत करने की स्वीकृति प्रदान की ।

संकल्प संख्या 120

मद संख्या 122 गोपनीय (अलग से वितरित)

संकल्प संख्या 121

मद संख्या 123 जहॉगीरपुरी पुनर्वास कालोनी में 20 एम0जी0डी0 सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण

मुख्य अभियन्ता (सी)।। के पत्र क्रमॉक दि.ज.बो./तक./98/80 दिनॉक 14.9.98 के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया और मैसर्स ए0पी0 कन्सट्रक्सन को उसके न्यूनतम स्वीकृत रेट डी.एस.आर. 93 पर @ 19.95% अधिक निविदा अनुमान राशि रु0 1,98,56,910 व कुल राशि रुपये 2,38,18,363.50 है, निविदा की शर्त 10 सी0सी0 के अनुसार बढ़ोत्तरी दिनॉक 23.4.97 से देय एवं आबटिंत करने की स्वीकृति प्रदान की ।

<u>संकल्प संख्या : 122</u>

मद संख्या : 124 जहाँगीरपुरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन से कोरोनेशन पिलर अवजल शुद्धि संयत्र तक 600 मि0मी0 व्यास की दो सी0आई0 राईजिंग मेन को बिछाना और जोड़ना ।

मुख्य अभियन्ता (सी) द्वितीय के पत्र क्रमॉक दि0ज0बो0/तकनिकी/98/81, दिनॉक14.9.1998 में दिए गए प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार करने के पश्चात श्री मूलचन्द, ठेकेदार को दिल्ली दर अनुसूची 1993 के आधार पर रु0 23,14,469/– की निविदा राशि से 35.50 प्रतिशत अधिक की दर पर रु0 31,36,105.40 की कुल लागत पर तथा निविदा शर्त की धारा 10 सी0सी0 के अन्तर्गत मूल्यवृद्धि दिनॉक 10.9.1998 से देय सहित, कार्य आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान की।

<u>संकल्प संख्या : 123</u>

मद संख्या : 125 रामपुरा दिल्ली में 3 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता के सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

मुख्य अभियन्ता (सी) 2 के पत्र क्रमॉक दि0ज0बो0/तकनिकी/98/82, दिनॉक 14.9.98 में दिए गए प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार करने के पश्चात इस कार्य को मैस़र्स लखवीर सिंह को दिल्ली दर अनुसूची 1993 के आधार पर रु0 82,01,164.00 की निविदा राशि से 18.18 प्रतिशत अधिक की दर पर रु0 96,12,136.00 की कुल राशि पर आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान की ।

<u>संकल्प संख्या 124</u>

मद संख्या : 126 सोनिया विहार में 140 मि0गै0दै0 क्षमता के जल संयंत्र का निर्माण ।

मुख्य अभियन्ता (सी) 3 के पत्र क्रमॉक दि0ज0बो0/इन्जि0/98/83, में दिए गए प्रस्तावों पर विचार करने के बाद बोर्ड ने निम्न संकल्प किया :

ए) 1. सोनिया विहार में 140 मि0गै0दै0 क्षमता के जल उपचार संयंत्र के लिए मुराद नगर से सोनिया विहार तक 270 क्यूसैक कच्चे पानी के वहन के लिए कनड्यूट के निर्माण के लिए रु0 6312 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2) इस कार्य को दिनॉक 19.3.1991 को मानी गई निबंधनों और शर्तो के आधार पर दिल्ली जल बोर्ड के "डिपाजिट कार्य" के रुप में मै0 उ0प्र0 जल निगम को आबंटित करने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3) उ0प्र0 जल निगम को पूर्व में भुगतान की गई रु0 651.332 लाख की राशि को उपरोक्त अनुच्छेद "ए (1)" के अनुसार कुल स्वीकृत राशि में समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बी) 3200 मि0मी0 व्यास की कनड्यूट को बिछाने के लिए अधिग्रहित की गई भूमि पर तारों की बाड़ लगाने के लिए रु0 30.92 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है साथ ही इस कार्य को दिल्ली जल बोर्ड के "डिपाजिट वर्क" के रुप में उ0प्र0 जल निगम द्वारा किए जाने की स्वीकृति प्रदान की ।

सी) सोनिया विहार में 140 मि0गै0दै0 क्षमता के जल उपचार संयंत्र के निर्माण तथा संबंधित कार्यों और उपकरणों जैसे पम्पों की व्यवस्था, स्थापना, परीक्षण और चालू करना, कार्यस्थल का विकास, कच्चे पानी के लिए वैकल्पिक पम्प गृह, जल वहन के लिए मुख्य लाइनों की व्यवस्था और बिछाने के कार्य के लिए रु0 295.75 करोड़ रुपए के "ब्लाक अनुमान" को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

डी) दिल्ली विधुत बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, रेलवे, उ.प्र. जल निगम एवं अन्य सरकारी विभागों एवं निकायो को कार्य सम्पादन कराने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जहाँ कही उनके निहित शक्तियुक्त प्राधिकार ( ) से अधिक हो वहाँ अध्यक्ष की अनुमति लेकर भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया ।

ई) अधिशासी अभियन्ता के पद के बराबर प्रोजेक्ट आफिसर के पद और श्रेणी "बी" और "सी" के सहायक पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संकल्प संख्या : 125

मद संख्या: 127 सी ब्लाक हरिजन बस्ती घरोली एक्सटेंशन में 150 व 100 मि0मी0 व्यास की सी0आई0 की पानी की लाइनों की व्यवस्था, बिछाने तथा जोड़ने का कार्य ।

....

मुख्य अभियन्ता (सी) प्रथम के पत्र संख्या दि0ज0बो0/तकनिकी/98/84, दिनॉक 15.9.1998 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सी–ब्लाक हरिजन बस्ती में सी0आई0 की 150 मि0मी0 व 100 मि0मी0 व्यास की पाइप लाइनों की व्यवस्था करने और बिछाने व जोड़ने के कार्य के लिए रु0 31,17,057.00 के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की ।

संकल्प संख्याः 126

मद संख्या 128 नजफगढ क्षेत्र में चाणक्य प्लेस भाग 2 जल आपूर्ती का प्रावधान ।

मुख्य अभियन्ता (सी) प्रथम के पत्र क्रमांक दि.ज.बो./तक./98/85, दिनांक 15.9.98 में दिये गए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बोर्ड ने इस कार्य के लिए रू 32,01,301/- के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की ।

संकल्प संख्याः 127

मद संख्या 129 8 से 10 कि.लि. क्षमता वाले पानी के माउण्टेड टैंकर लम्बी अवधि के लिए लगाने का प्रस्ताव ।

मुख्य अभियन्ता (सिविल) प्रथम के पत्र क्रमांक दि.ज.बो./तक./98/86 दिनांक 15.9.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बोर्ड ने अनधिकृत कालोनियों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 50 किराये के 8 से 10 किलोलिटर क्षमता के टैंकरों को कम से कम 12 माह या इससे अधिक समय के लिए, किफायती पाये जाने की अवस्था में लगाने के लिए रु0 2.25 करोड़ की राशि के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की ।

संकल्प संख्या 128

मद संख्या 130 दिल्ली जल बोर्ड के श्रेणी "सी" और "डी" के कर्मचारियों को रु0 15/- प्रतिमाह की दर से निश्चित चिकित्सा भत्ते का भुगतान और 35 निश्चित बीमारियों की शर्त को समाप्त करना ।

निदेशक (प्रशा0 एवं कार्मिक) के पत्र संख्या दि0ज0बो0/प्रशा./98/43 दिनांक 15.9.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बोर्ड ने दिल्ली जल बोर्ड के श्रेणी "सी" और "डी" के कर्मचारियों को रू015/- प्रतिमाह की दर से दिए जा रहे निश्चित चिकित्सा भत्ते और 35 निश्चित बीमारियों के इलाज पर किए जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की वर्तमान नीति को समाप्त करने और सभी बीमारियों के लिए चिकित्सा व्यय के प्रतिपूर्ति के दावों को श्रेणी "ए" और "बी" के कर्मचारियों के समरुप तथा समय समय पर होने वाले संशोधनों सहित केन्द्रीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) नियमों के अनुसार नियंत्रित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की ।

संकल्प संख्या 129

मद संख्या 131 मालवीय नगर जलाशय एवं भूमिगत पम्पिंग स्टेशन योजना के अन्तर्गत 150 मि0मी व्यास से 600 मि0मी0 व्यास तक की सी. आई./पी.एस.सी./ एम.एस. की जल वितरण की मुख्य लाइनों को बिछाना/जोड़ना ।

मुख्य अभियन्ता (सी) तृतीय के पत्र क्रमांक दि0ज0बो0/तक0/98/87 दिनांक 15.9.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के बाद इस कार्य को श्री कंवर भान को बातचीत के आधार पर तय डी.एस.आर."93 से 49.7% अधिक की निम्नतम दर पर, रू0 30,38,926.27 की कुल लागत पर आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान की। मूल्यवृद्धि यदि कोई हो तो दिनांक 10.9.98 से देय होगी।

कृ0प030

संकल्प संख्या 130

मद संख्या 132 पश्चिमी दिल्ली के चाणक्य प्लेस भाग–। फेस–2 पंखा रोड़ में सी.आई. कि पानी की मुख्य लाइन की व्यवस्था, बिछाना और जोड़ना ।

मुख्य अभियन्ता (सी) प्रथम के पत्र क्रमांक दि0ज0बो0/तक0/98/89 दिनांक 15.9.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के बाद इस कार्य के लिए सी. आई. पाइपों की व्यवस्था डी.एस.आर."93 से 34.72% अधिक की दर पर मै0 खुखरैन बिल्डरस को आंबटित करने की स्वीकृति दी जाती है।

संकल्प संख्या 131

मद संख्या 133 परिपूरक प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता (सी) चर्तुथ के पत्र क्रमांक तक0/98/72 दिनांक 21.8.98 द्वारा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट चैनल का निर्माण कच्चे सीवेज को पुराने मौजूदा सीवेज शोधन संयत्र ओखला से नये 16 एम.जी.डी. सीवेज शोधन संयत्र ओखला तक ले जाने हेतू ।

मुख्य अभियन्ता (सिविल) चर्तुथ के पत्र क्रमांक दि0ज0बो0/तक0/98/89 दिनांक 15.9.98 पर बोर्ड द्वारा प्रस्ताव में दिए गये मद संख्या (क), (ख) और (ग) को स्वीकृति प्रदान की ।

संकल्प संख्या 132

मद संख्या 134 गोपनीय (अलग से वितरित)

संकल्प संख्या 133

मद संख्या 135 दिल्ली जल बोर्ड में मासिक यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन । (बैठक में वितरित)

निदेशक (प्रशा0 एवं कार्मिक) के पत्र क्रमाकं दि0ज0बोर्ड/प्रशा0/98/26 दिनांक 14.7.98 में दिए गये प्रस्ताव को दिल्ली जल बोर्ड ने संकल्प संख्या 68 दिनांक 5.8.98 द्वारा इस आशय के साथ लौटा दिया गया था कि दिल्ली विधुत बोर्ड में विभिन्न श्रेणीयों को वर्तमान दर पर देय यात्रा भत्ते को ध्यान में रखकर पुनः प्रस्तुत किया जाये ।

तदानुसार, निदेशक (प्रशा0 एवं कार्मिक) ने दिल्ली विधुत बोर्ड से यात्रा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त विवरण के आधार पर दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को संलग्नक "ख" में दिए गये विवरण के अनुसार यात्रा भत्ते की दरों में तुरन्त प्रभाव से संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया, जिस पर बोर्ड ने विचार करने के बाद स्वीकृति दी ।

संकल्प संख्या 134

मद संख्या 136 दिल्ली जल बोर्ड में बागवानी विभाग का पुर्नगठन – उपनिदेशक (बागवानी) के पद आदि का गठन । (बैठक में वितरित)

निदेशक (प्रशा0 एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक दि0ज0बो0/प्रशा0/98/38 दिनांक 24.8.98, मद संख्या 112 जो उपरोक्त विषय में था को बोर्ड ने संकल्प संख्या 110 के द्वारा इस आशय के साथ वापिस किया था कि बागवानी विभाग में पिछले वर्षो में किए गये कार्यो की समीक्षा, पदाधिकारियों आदि का विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

तदानुसार, निदेशक (प्रशा0 एवं कार्मिक) ने मद संख्या 136 के द्वारा वांछित सूचना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की । बोर्ड ने रिर्पोट से संतुष्ट होकर उप निदेशक (बागवानी) का एक अतिरिक्त प्रस्तावित पद, सहायक निदेशक, प्रभारी अधिकारी (बागवानी) के अतिरिक्त प्रस्तावित एक पद के स्थान पर दो पद तथा अनुभाग अधिकारी के अतिरिक्त तीन प्रस्तावित पदों के स्थान पर पाँच पदों के सर्जन की स्वीकृति प्रदान की । बोर्ड ने प्रस्ताव में दिए गये उधान विभाग के पुर्नगठन हेतू सुझावों जैसे अलग बजट की व्यवस्था, उपनिदेशकों को कार्यकारी अभियन्ता के समान वितीय शक्तियाँ दोनो उप–निदेशकों के लिए एक–एक जिप्सी की खरीद का भी अनुमोदन किया ।

बोर्ड की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई व जिन प्रमुख विषयों पर निर्णया हुआ वह निम्न प्रकार से है :–

1. निलोठी गाँव के सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिए 106 हैक्टर अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में बोर्ड ने विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का निर्देश दिया जो कि अपनी रिर्पोट में यह बताये की भविष्य की आवश्यकता को भी देखते हुए उक्त प्लान्ट के लिए वास्तव में कितनी भूमि की आवश्यकता है, जिससे आवश्यकतानुसार भूमि को निश्चित (स्पेसिफाई) किया जा सके । बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेषज्ञों की यह रिर्पोट समिति के तुरन्त गठन के बाद एक माह में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये ।

2. यह भी निर्देश दिया गया की सी.ए.जी. द्वारा दी गई रिर्पोट पर चर्चा करने के लिए बोर्ड की एक विशेष बैठक जल्दी बुलाई जाये। सी.ए.जी. द्वारा उठाये गये मुददे सभी सदस्यों को अध्ययन के लिये उपलब्ध कराये जाये ताकि बैठक में सही ढंग से उस पर विचार किया जा सके ।

3. बोर्ड ने सैद्धांन्तिक रूप से यह भी माना की सभी कर्मचारियों को उनके सेवाकाल की अवधि में कम से कम तीन विभागीय पदोन्नति मिलनी चाहिये । विशेष चर्चा करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस विषय में अन्य सरकारी विभागो में चल रही पद्धति के बारे में जानकारी लेने हेतु कहा गया तथा यदि किसी भी सरकारी विभाग/संस्था से ऐसा कोई माडल प्राप्त हो तो उसी आधार पर बोर्ड के कर्मचारियों की तीन पदोन्नति के लिए बोर्ड के सम्मुख प्रस्ताव लाया जाये ।

4. बोर्ड ने निर्देश दिया कि नई भर्ती के लिये ऊपरी उम्र (अपर ऐज लिमिट) में दो साल की बढोतरी का प्रस्ताव भी बोर्ड के सम्मुख स्वीकृति हेतु लाया जाये तत्पश्चात् भर्ती नियमों (आर. आर.) में संशोधन करके संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) की स्वीकृति (कानकरेंस) हेतू भेजा जाये ।

5. दिल्ली कैंट फिलिंग प्वाइंट से टैंकरों में पानी भरने का काम जो लोगों के विरोध के कारण रोक दिया गया है वहाँ से पानी भरने का कार्य पुनः चालू किया जाये तथा इसके लिये यदि आवश्यकता पड़े तो पुलिस की सहायता भी ली जाये ।

6. श्री दीप चन्द बन्धु, सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड ने शिकायत की कि गुलाबी बाग भूमिगत जलाशय बनने के बाबजूद भी कालोनियों में पानी के दबाब की समस्या बराबर बनी हुई है इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (सी) ने बोर्ड को विश्वास दिलाया कि दिनांक 21.6.98 तक पानी का दबाब बढ़ जायेगा ।

कृ0प0उ0

7. पानी के वितरण सम्बन्धी बोर्ड द्वारा पहले ही लिये गये निर्णयों को ठीक प्रकार से लागू न होने के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों की शिकायत पर, श्री छन्नुमल, सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया । इस समिति के अन्य सदस्य श्री आर.सी.वर्मा व श्रीमती रोशनी बंसल होंगी। यह समिति पानी के रिसाब व मैंटीनेन्स के सम्बन्ध में अपनी रिर्पोट बोर्ड के समक्ष रखेगीं ।

8. अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मंगोलपुर कलॉं में पानी की लाइन पिछले 15 दिनों से टूटी होने के कारण काफी पानी व्यर्थ बह रहा है जो उन्होने स्वंय देखा है। मुख्य अभियन्ता (सी) ने बोर्ड को यह विश्वास दिलाया कि उसी रात इस लाइन की मरम्मत कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष
दिल्ली जल बोर्ड

सचिव